(2012) 5 एस.सी.आर. 568

**दीपक खिंची**

**वि.**

**राजस्थान राज्य**

**(2012 की आपराधिक अपील संख्या 719)**

30 अप्रेल 2012

**(आफताब आलम और रंजना प्रकाश देसाई, न्यायाधीशगण)**

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 – धारा 3,4,5,6 और 7 – अपीलार्थी – अभियुक्त विस्फोटक/ज्वलंतशील पदार्थो का व्यापार करता था – उसकी दुकान में आग लग गई जिसके कारण 14 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य घायल हो गये – सेशन न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को उक्त अधिनियम के आरोपों से उन्मुक्त कर दिया गया था क्योकि उसे अभियोजित किये जाने हेतु अभियोजन स्वीकृति नहीं थी – जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बाद में मंजूरी जारी की गई, लेकिन उस आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा अधिनियम के तहत अपीलार्थी के खिलाफ आरोप तय करने के आवेदन को सेशन न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया – अपीलार्थी ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की गई नई मंज़ूरी के साथ धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया – सेशन न्यायाधीश के आदेश दिनांक 16.11.2010 द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया सहिंता स्वीकार किया गया तथा अपीलार्थी के विरूद्ध अधिनियम के तहत अपराध के लिये विचारण किये जाने का निर्देश दिया गया – उच्च न्यायालय द्वारा आदेश को सही ठहराया गया – अभियुक्त अपीलार्थी का अभिवाक – कि धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश पारित करके सेशन न्यायाधीश ने उसे तीन साल की अवधि के बाद विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिए विचारण की अग्निपरीक्षा के अधीन कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप न्याय विफल हुआ है – अभिनिर्धारितः इस प्रकरण में अपराध गंभीर था और सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी स्तर पर मंजूरी देने से इंकार नहीं किया गया था – अपीलार्थी का ऐंसा कोई मामला नहीं है कि मंजूरी किसी अक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई हो – यद्पि अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त अधिनियम के अंतर्गत तीन साल पश्चात कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है लेकिन, मामले की तथ्य यह है कि जहां अपीलाथी की दुकान में विस्फोट के कारण 14 निर्दोश व्यक्तियों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गये थे, और वहां तीन साल की अवधि को विलंब नहीं कहा जा सकता – न्यायालय का यह भी कर्त्तव्य है कि अपराधियों का विचारण किया जाये एवं यदि उनके विरूद्ध अपराध साबित होता है तो उन्हें दोषसिद्ध भी किया जाये – यह नहीं कहा जा सकता है कि तीन वर्ष व्यतीत हो जाने से अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है – प्रकरण का संचालन विधि के अनुसार किया जायेगा एवं अपीलार्थी को स्वयं को निर्दोष साबित करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जायेगा – इसके अतिरिक्त, पीड़ित के अधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं – विचारण न्यायालय उक्त अधिनियम की धारा 3,4,5 एवं 6 के अंतर्गत अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप विरचित करेगी तथा विचारण हेतु अग्रसर होगी – आपराधिक विचारण ।

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 – धारा 7 – अभियुक्त को अभियोजित करने हेतु सम्मति/मंजूरी – मौजूदा मामले में ऐसी सम्मति/मंजूरी प्राप्त करने में अभियोजन पक्ष का उदासीन दृष्टिकोण – पदावनत ।

**अभियुक्त/अपीलार्थी विस्फोटक/ज्वलंतशील पदार्थो का व्यापार करता था । उसकी दुकान में आग लग गई जिसके कारण 14 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई तथा कई अन्य घायल हो गये । विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3,4,5 एवं 6 साथ ही भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत विभिन्न**

अपराधों के तहत प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज की गई थी । सेशन न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिंता के अंर्तगत अपराधों के लिए आरोप विरचित किये गये। तथापि, आदेश दिनांक 19.09.2007 के अनुसार अपीलार्थी को इस आधार पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के आरोपों से उन्मुक्त कर दिया गया कि जैंसा कि अधिनियम की धारा 7 में अपेक्षित है अभियोजन पक्ष द्वारा उसके विरूद्ध अभियोजन चलाने की कोई मंजूरी नहीं दी गई थी।

बाद में, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, परन्तु उस आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा अधिनियम के तहत अपीलार्थी के खिलाफ आरोप तय करने के आवेदन को सेशन न्यायाधीश द्वारा आदेश दिनांकित 15.05.2010 द्वारा खारिज कर दिया गया । अपीलार्थी ने जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी की गई नई मंज़ूरी पत्र दिनांकित 01.06.2010 के साथ धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। सेशन न्यायाधीश ने उक्त नई मंजूरी को स्वीकार किया एवं आवेदन अंतर्गत धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी के विरूद्ध विस्फोटक पदार्थ की धारा अधिनियम 3,4,5 व 6 के अंतर्गत अपराधों के तहत विचारण किये जाने हेतु निर्देशित किया। उच्च न्यायालय द्वारा आदेश की पुष्टि की गई।

मौजूदा अपील में, अपीलार्थी ने प्रस्तुत किया कि धारा 311 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश पारित कर सेशन न्यायाधीश ने उसे तीन साल की अवधि के बाद विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत अपराध के लिए विचारण की अग्निपरीक्षा के अधीन कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप न्याय विफल हुआ है ।

अपील का निराकरण करते हुए न्यायालय में अभिनिर्धारित किया:

1.1 अपीलार्थी की दुकान हुए विस्फोट में 14 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। अन्य कई व्यक्ति गंभीर रूप से घाषल हुए थे। घटना की गंभीरता पर शायद ही विवाद किया जा सकता है। सेशन न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध भारतीय दण्ड सहिंता के अपराधों के आरोप विरचित किये गये थे, क्योंकि उनके प्रथम दृष्ट्या राय में, अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त आरोप विरचित किये जाने हेतु पर्याप्त सामाग्री थी। तथापि, जहां तक उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपराधों का सवाल है, अभियोजन पक्ष की ओर से लापरवाही की सीमा तक बहुत अधिक निष्क्रियता थी। उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा था लेकिन ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। यह न्यायालय अभियोजन पक्ष के इस दृष्टिकोण पर अत्याधिक असंतोष व्यक्त करती है। किसी को आश्चर्य हो सकता है कि क्या सेशन न्यायाधीश इच्छानुसार अभियोजन की निष्क्रियता के बारे में मुख्य सचिव को अवगत कराया गया है। अंततः, सेशन न्यायाधीश को अभियुक्त को उक्त आरोपों से उन्मुक्त करना पड़ा क्योंकि कोई मंजूरी नहीं थी। (कंडिका 9) (577–बी–ई)

1.2 तथापि, किसी भी समय मंजूरी देने से इंकार नहीं किया गया था। दिनांक 01.04.2008 को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, परन्तु उस आधार पर अभियोजन पक्ष द्वारा अधिनियम के तहत अपीलार्थी के खिलाफ आरोप तय करने के आवेदन को सेशन न्यायाधीश द्वारा नामंजूर कर दिया गया था। यह न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी पत्र दिनांकित 01.04.2008 ने धारा 7 के तहत परिकल्पना के अनुसार अच्छी एवं वेद्य सम्मति दी थी एवं सेशन न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 15.05.2010 द्वारा सम्मति पत्र को अस्वीकार करने में गलती की। मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए, अभियोजन द्वारा उस आदेश को चुनोती दी जानी चाहिए थी किंतु उसे चुनौती नहीं दी गई। (कंडिका 12,12) (577–एफ–एच; 580–बी–सी)

राजेन्द्र प्रसाद विरूद्ध नारकोटिक सेल **(1999) 6 एस.सी.सी 110: 1999 (3) एस.सी.आर. 818 और** हिमाचलप्रदेश राज्य विरूद्ध निशांत सरीन (2010) 14 एस.सी.सी. 527: 2010 (13) एस.सी.आर. 1200 – अनुपयुक्त ठहराया गया।

रमज़ानी एवं अन्य विरूद्ध राजस्थान राज्य **1993 सीआर.एल.आर. (राजस्थान) 179 –**

**2.1 इस प्रकरण में अपराध गंभीर था और सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी स्तर पर मंजूरी देने से इंकार नहीं किया गया था – अपीलार्थी का ऐंसा कोई मामला नहीं है कि मंजूरी किसी अक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गई हो – यद्पि अपीलार्थी के विरूद्ध उक्त अधिनियम के अंतर्गत तीन साल पश्चात कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है लेकिन, मामले की तथ्य यह है कि जहां अपीलाथी की दुकान में विस्फोट के कारण 14 निर्दोश व्यक्तियों की जान चली गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गये थे, और वहां तीन साल की अवधि को विलंब नहीं कहा जा सकता – न्यायालय का यह भी कर्त्तव्य है कि अपराधियों का विचारण किया जाये एवं यदि उनके विरूद्ध अपराध साबित होता है तो उन्हें दोषसिद्ध भी किया जाये – यह नहीं कहा जा सकता है कि तीन वर्ष व्यतीत हो जाने से अभियुक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है – प्रकरण का संचालन विधि के अनुसार किया जायेगा एवं अपीलार्थी को स्वयं को निर्दोष साबित करने हेतु पर्याप्त अवसर दिया जायेगा । इसके अतिरिक्त पीड़ित के अधिकार भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। (कंडिका 13) (581–सी–एफ)**

**2.2 यह सत्य है कि सेशन न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 13.09.2007 के द्वारा अपीलार्थी को उक्त अधिनियम की धारा 3,4,5 व 6 के अपराध से उन्मुक्त कर दिया था क्योंकि अभियोजन स्वीकृति नहीं थी। लेकिन अब अभियोजन में मंजूरी प्राप्त कर ली है। सेशन न्यायाधीश ने मंजूरी स्वीकार कर ली है एवं निर्देशित किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 3,4,5 व 6 के अपराध का विचारण प्रारंभ किया जाये। सेशन न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश से की जाती है । विधि की दृष्टि में एवं मामले के तथ्यों में, मामले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है तथा विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 3,4,5 व 6 के अंतर्गत अतिरिक्त आरोप विरचित किये जाये एवं विचारण किया जाये। (कंडिका 14) (581–जी–एच; 582–ए–बी)**

न्यायदृष्टांत गोवा राज्य विरूद्ध बाबू थॉमस (2005) 8 एस.सी.सी. 130ः 2005 (3) पूरक एस.सी.आर. 712 प्रस्तुत किया गया।

**न्यायदृष्टांत प्रस्तुतः**

**1999(3)एस.सी.आर.818 अनुपयुक्त अभिनिर्धारित किया गया कंडिका 8**

**2010(13)एस.सी.आर.1200 अनुपयुक्त अभिनिर्धारित किया गया कंडिका 8,12**

**1993 सीआर.एल.आर. (राजस्थान) 179 रेफर्ड कंडिका 10,11**

**2005 (3) पूरक एस.सी.आर. 712 प्रस्तुत किया गया कंडिका 13**

अपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2012 की अपराधिक अपील क्रमांक 719

एस.बी.आपराधिक पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 853/2010 में जोधपुर राजस्थान के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश 24.01.2011 से ।

अपीलार्थी के लिये चिन्मय खलेड़कर, अरूणा गुप्ता
प्रत्यर्थी के लिये प्रशांत भगवती (मिलिंद कुमार के लिए)

**न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति श्रीमती रंजना प्रकाश देसाई** द्वारा पारित किया गया ।

1 अनुमति प्रदान की गई।

2 यह अपील, विशेष अनुमति लेकर, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 24.01.2011 के विरूद्ध निर्देशित है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (संक्षेप में संहिता) की धारा 311 के अंतर्गत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत आवेदन को स्वीकार करते हुए एवं यह निर्देश देते हुए कि विष्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारायें 3, 4, 5 व 6 के तहत अपराधो के लिए अपीलकर्ता के विरूद्ध विचारण किया जाना चाहिए, अपीलकर्ता द्वारा अतिरक्त सेशन न्यायाधीश (फ्रास्ट ट्रेक) चित्तौडगढ के आदेश के विरूद्ध दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका संख्या 853/2010 को खारिज कर दिया।

3. इससे पहले की हम मामले के तथ्यो की ओर मुड़े यह आवश्यक है कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (संक्षेप में, ''उक्त अधिनियम''), की धारा 7 ध्यान दिया जाए। जैसा कि विवाद उसमें विचार की गई मुकदमा चलाने की सहमति के आस पास घूमता है। जो है–

धारा 7: कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के विरूद्ध किसी अपराध के लिए किसी भी व्यक्ति पर कोई मुकदमा केन्द्र सरकार की सहमति के बिना नहीं चलायेंगी। यहां यह ध्यान देने योग्य है कि 2001 के अधिनियम 54 द्वारा धारा 7 संशोधित किया गया और केन्द्र सरकार के स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट शब्द प्रतिस्थापित किये गए।

4. अपीलार्थी के अनुसार वह राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी होने का दावा किया गया। उसके अनुसार वह केरोसिन, स्नेहक, पेंट, वार्निश, थीनर, पेट्रोलियम उत्पादो का कारोबार करता है और उसके पास खनन, सडको और अन्य अंतिम उपयोगो के लिए विस्फोट के उद्देश्य से उपयोग किये जाने वाले सॉलवेंट, पेट्रोकेमिकल्स और कच्चे माल के भण्डारण का लायसेंस है। अभियोजन पक्ष का अभिकथन है कि 02.05.2006 समय लगभग 6.40 बजे गांधीनगर विस्तार योजना, चित्तौडगढ, राजस्थान में स्थित अपीलकर्ता की दुकान में आग लग गई जिसके कारण कई बच्चे, महिलायें एवं पुरूष जिंदा जल गए। आरक्षी केन्द्र चित्तौडगढ के थाना प्रभारी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा दूरभाष पर सूचना प्राप्त होने पर मौके का मुआयना किया एवं तीन व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा (संक्षेप में, ''संहिता''), 285, 286, 323, 324, 304 एवं कथित अधिनियम की धारा 3, 4, 5 एवं 6 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की। अपीलकर्ता को अभियुक्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया। अन्वेषण पूर्ण होने के उपरांत विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष भारतीय दण्ड संहिता की धारा (संक्षेप में, ''संहिता''), 285, 286, 323, 324, 304 एवं कथित अधिनियम की धारा 3, 4, 5 एवं 6 के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। कथित अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत अपराधो के संबंध में समक्ष प्राधिकारी की सम्मति नहीं ली गई।

5. सत्र न्यायालय के समक्ष मामले को सुपुर्द करने के पश्चात मामला 2006 के सत्र प्रकरण क्रमांक 53 के रूप मे दर्ज किया गया था। दिनांक 07.08.2008 को आरोप पर बहस सुनने के पश्चात सत्र न्यायालय ने न्यायहित में अभियोजन पक्ष को जवाब प्रस्तुत करने के अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत आज्ञापक अनुमति क्यो नहीं ली गई और इस संबंध में सही कानूनी स्थिति क्या है बताने के निर्देश दिए। उसने प्रार्थना की यह मामला दिनांक 22.08.2007 को सुनवाई के लिए नियत किया गया था। यद्यपि अवसर प्रदान किया गया था अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा न तो जवाब दायर किया गया और न ही कोई लिखित तर्क प्रस्तुत किए। उन्होने प्रार्थना की उन्हें जवाब प्रस्तुत करने के लिए एक और अवसर प्रदान किया जाए। न्यायहित में विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा मामला मुलतबी किया गया। दिनांक 10.09.2007 को अतिरिक्त लोक अभियोजक द्वारा एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा पुलिस अधीक्षक के माध्यम से थाना प्रभारी को एक पत्र लिखा था किन्तु उसका कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए मामला 12.09.2007 को सुनवाई पर नियत किया

गया। दिनांक 12.09.2007 को भी मंजूरी प्रस्तुत नहीं की गई। उभयपक्ष के तर्क श्रवण किए गए एवं दिनांक 13.09.2007 को विद्वान सेशन न्यायाधीश द्वारा कथित अधिनियम के अंतर्गत अपराधों से अपीलकर्ता को उन्मोचित किया गया। कथित अपराधों से अपीलकर्ता को उन्मोचित किये जाते समय विद्वान सेशन न्यायाधीश ने यह नोट किया कि सुनवाई को बार बार स्थिगित किये जाने के बावजूद अतिरिक्त लोक अभियोजक मंजूरी प्रस्तुत करने में तथा सही विधिक स्थिति बताने में असफल रहे उन्होंने जिला न्यायाधीश से स्पष्टीकरण चाहा यह प्रश्न कि क्या भविष्य में कोई मंजूरी पेश की जाती है तो अपीलकर्ता पर उक्त अधिनियम के तहत अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, यह सवाल उनके द्वारा खुला रखा गया था। उन्होंने जिला दण्डाधिकारी चित्तौडगढ से स्पष्टीकरण मांगा की विनाशकारी आग की घटना में 14 लोगों की मृत्यु एवं बडी संख्या में व्यक्तियों के आग से झुलसने के बावजूद मंजूरी क्यों नहीं दी गई। विद्वान सेशन न्यायाधीश द्वारा इस बात की भी स्पष्टीकरण मांगा गया कि मुख्य सचिव, राजस्थान राज्य को इस दुखद स्थिति के संबंध में क्यों सूचित नहीं किया जाना चाहिए जिसके कारण वह कथित अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के अपीलकर्ता को उन्मोचित करने हेतु विवश था। हालांकि विद्वान सेशन न्यायाधीश ने कहा कि उनका प्रथम दृष्टया विचार था कि अपीलकर्ता ने ज्वलनशील पदार्थो के भण्डारण और विपणन के अपने व्यवसाय का संचालन करते समय पर्याप्त सावधानी नहीं बरती थी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टयां यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता की लापरवाही के कारण उसकी दुकान में आग लगने से 14 व्यक्तियों की मृत्यु एवं कई व्यक्तियों को क्षति कारित हुई। इसलिए उन्होंने निर्देश दिया कि अपीलकर्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 285, 286 और 304 के अंतर्गत अपराधों के लिए आरोप अगली सुनवाई तिथि को विरचित किए जाए। यह ध्यान देने योग्य है कि अपीलकर्ता ने राजस्थान उच्च न्यायालय के एकल पीठ के समक्ष दिनांक 13.09.2007 को आदेश को चुनौती दी। उक्त याचिका खारिज की गई।

6. दिनांक 03.04.2008 को आरक्षी केन्द्र कोतवाली के थाना प्रभारी ने अतिरिक्त पुलिस अभियोजक के माध्यम से एक आवेदन पत्र मय जिला दण्डाधिकारी चित्तौडगढ द्वारा 01.04.2008 को जारी किये गए मंजूरी पत्र के प्रस्तुत किया। दिनांक 15.05.2010 को विद्वान सत्र न्यायाधीश ने आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया कि अपीलकर्ता को अभियोजित करने की मंजूरी उक्त अधिनियम धारा 3, 4, 5 एवं 6 के अंतर्गत जिला दण्डाधिकारी द्वारा प्रदान की गई है किन्तु धारा 7 के अंतर्गत नहीं की गई है। मंजूरी आदेश की प्रतिलिपि अपील ज्ञापन के साथ प्रदर्श पी–06 के रूप में संलग्न है।

''मामले के अन्वेषण से ऐसा खुलासा हुआ है कि आरोपी ने लापरवाही बरतते हुए लायसेंस के नियमों का उल्लंघन करते हुए रिहाईशी इलाके में स्थित अपनी दुकान में अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थ सॉलवेंट यह जानते हुए रखा था कि इससे मानव जीवन एवं संपत्ति को गंभीर क्षति किसी भी समय हो सकती है किन्तु इसके बावजूद भी उसने ऐसा कृत्य किया जिसके कारण विस्फोट हुआ और घटना घटी एवं मानव जीवन तथा संपत्ति को क्षति हुई।

अतः अभियुक्त दीपक खींची आत्मज श्री मदनलाल खींची, निवासी–गांधीनगर चित्तौडगढ के विरूद्ध विस्फोट पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3, 4, 5 व 6 के अंतर्गत प्रथम दृष्टयां मामला साबित होना दर्शित होता है जिसके कारण विस्फोट पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 7 के अंतर्गत सक्षम न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र दायर करने के लिए अभियोजन को मंजूरी दी जाती है।''

यह आश्चर्यजनक है कि इस प्रकार के गंभीर मामले अभियोजन ने विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 15.05.2010 को पारित आदेश को चुनौती नहीं दी गई।

7. अभियोजन पक्ष ने फिर से जिला दण्डाधिकारी चित्तौडगढ के द्वारा जारी मंजूरी पत्र दिनांक 01.06.2010 के साथ धारा 311 दप्रसं का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जैसा कि ऊपर वर्णित है उक्त आवेदन पत्र विद्वान सेशन न्यायाधीश द्वारा दिनांक 16.11.2010 को स्वीकार किया गया।

राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के द्वारा विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की गई। अतः यह अपील प्रस्तुत की गई है।

8. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को कुछ हद तक सुना। अपीलकर्ता के अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदन को तीन वर्षो के विलंब पश्चात दायर करने की अनुमति देकर गलती की। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी प्राप्त करने के लिए बार बार प्रयास नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि संहिता की धारा 311 के अंतर्गत आदेश पारित करके विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को उक्त अधिनियम के अतंर्गत अपराधों के विचारण के लिए तीन साल की अवधि के बाद मामले की अग्निपरीक्षा के अधीन कर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि अभियोजन पक्ष ने मंजूरी प्राप्त करने में जानबूझकर विलंब किया है, अब इस कमी को पूरा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इस तरह के कदम से न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा। अपनी दलीलों के समर्थन में अधिवक्ता ने न्यायदृष्टांत राजेन्द्र प्रसाद वि. नार्कोटिक्स सेल्स एवं हिमाचल प्रदेश राज्य वि. निशांत सरीन प्रस्तुत की है।

9. अपीलकर्ता की दुकान में हुए विस्फोट से 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की गंभीरता पर शायद ही कोई विवाद किया जा सकता है। विद्वान सेशन न्यायाधीश ने अपीलकर्ता के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत अपराध के लिए आरोप विरचित किए क्योंकि उनके मत में प्रथम दृष्टया अपीलकर्ता को उक्त आरोप लगाने हेतु पर्याप्त सामग्री मौजूद है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां तक उक्त अधिनियम के अंतर्गत का संबंध है। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पक्ष की ओर से इतनी अधिक निष्क्रियता होनी चाहिए जो संवेदनहीनता के हद तक हो। विद्वान सेशन न्यायाधीश ने अपने आदेश में अभियोजन पक्ष के आचरण के बारे मे निराशा व्यक्त की है। उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा था लेकिन स्पष्टीकरण आता हुआ नहीं दिख रहा है। हम अभियोजन पक्ष के इस दृष्टिकोण के प्रति अध्ययनता को अप्रसन्नता व्यक्त करते है। हमे आश्चर्य है कि क्या विद्वान सत्र न्यायाधीश की इच्छानुसार अभियोजन की निष्क्रियता के बारे में मुख्य सचिव को अवगत कराया गया था। अन्ततः विद्वान सत्र न्यायाधीश को अपीलकर्ता को उक्त अरोपों से मुक्त करना पडा था क्योंकि मंजूरी नहीं मिला थी।

10. जैसा कि यहां बातया गया है कि दिनांक 01.04.2008 को जिला दण्डाधिकारी, चित्तौडगढ के द्वारा मंजूरी दी गई थी किन्तु अभियोजन द्वारा उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपीलार्थी के विरूद्ध आरोप विरचित करने के लिए प्रस्तुत आवेदन विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा निरस्त कर दिया गया था। हम प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि जिला दण्डाधिकारी चित्तौडगढ द्वारा जारी पत्र दिनांकित 01.04.2008 अच्छी और वैध सम्मति है जैसा अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन अपराधों के संबंध में अपीलकर्ता के विचारण हेतु आवश्यक है और विद्वान सेशन न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक 15.05.2010 के द्वारा मंजूरी पत्र को निरस्त कर गलती की। अभियोजन पक्ष के लिए उचित कदम उस आदेश को चुनौती देना और उच्च न्यायालय द्वारा इसे रद्द करवाना था। अभियोजन पक्ष के लिए उचित अनुक्रम यह था कि उस आदेश को चुनौती दी जाए एवं उच्च न्यायालय द्वारा इसे अपास्त कर दिया जाए, उस पाठयक्रम को अपनाने के बचाए, चित्तौड़गढ़ के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनॉक 1/6/2008 को एक नई मंजूरी जारी की गई। अभियोजन पक्ष द्वारा आवेदन अन्तर्गत संहिता की धारा 311 प्रस्तुत किया गया, यह प्रार्थना की गई कि मंजूरी जारी की जाए जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत जारी की गई मंजुरी को अभिलेख पर लिया और अपीलार्थी पर निम्नलिखित अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाता है – उक्त अधिनियम की धारा 3, 4, 5 और 6। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उक्त आवेदन को मंजूर करते हुए , रामजानी और अन्य विरुदध् राजस्थान राज्य के मामलों में राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के फैसले पर भरोसा किया।जिसमें यह अभिनिर्धानित किया गया था कि जहा उक्त अधिनियम की धारा 7 के तहत मंजुरी प्राप्त नहीं की गई है, अभियोजन को रदद करना होगा, लेकिन अभियोजन पक्ष से मंजुरी प्राप्त करने के बाद नये सिरे से

अभियोजन शुरु करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजुरी अभिप्राप्त करने के पश्चात खुला होगा । उच्च न्यायालय ने इस आदेश को बरकरार रखा।

11. विद्वान वकील की दलीलो से निपटने से पहले हम उन निर्णयों का उल्लेख करेंगे जिन पर निर्भरता है अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील ने भरोसा जताया है । राजेन्द्र प्रसाद मामले में इस न्यायालय ने समझाया कि कब कोई न्यायालय गवाहों को वापस बुलाने या फिर से बुलाने की अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। अपीलार्थी के वकील द्वारा उठाये गये इस तर्क को खारिज करते हुए की संहिता की धारा 311 के तहत शक्ति का प्रयोग खामियो को भरने के लिए किया जा रहा है इस न्यायालय ने कहा कि अभियोजन में कमी को अंतर्निहित कमजोरी या छिपी हुई बाधा के रूप में समझा जाना चाहिए या अभियोजन मामले के मैट्रिक्स इसका लाभ आम तौर पर मुकदमे में अभियुक्त को मिलना चाहिए , लेकिन अभियोजन के प्रबंधन में लापरवाही को अपूरणीय कमी नहीं माना जा सकता है। इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मुकदमे में किसी भी पक्ष को त्रुटियों को सुधारने से रोका नहीं जा सकता है और यदि उचित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया था या एक प्रासंगिक सामग्री थी किसी भी असावधानी के कारण रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया, न्यायालय को ऐसा करना चाहिए इस तरह की गलतियों को सुधारने की अनुमति देने के लिए उदार बनें। इस न्यायालय ने कहा कि आखिरकार, आपराधिक न्यायालय का कार्य आपराधिक न्याय का प्रशासन है न कि पक्षकारों द्वारा की गई त्रुटियों को गिनना या यह पता लगाने और घोषित करने के लिए कि इनमें से किस पक्षकार द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया गया।

हमारे विचार में, अपीलार्थी इस निर्णय से कोई भी समर्थन प्राप्त नही कर सकता क्योंकि यह पूरी तरह से अलग तथ्य परिदृश्य से उत्पन्न हआ है। यदि हमारे द्वारा उद्धृत इस न्यायालय की इन सभी टिप्पणियों से अभियोजन पक्ष को मदद मिलेगी न कि अपीलार्थी को। उस मामले में मंजूरी का कोई सवाल ही नहीं था। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष ने अपने साक्ष्य को बंद कर दिया था और उसके बाद अभियोजन पक्ष के कहने पर, दो जिन गवाहों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी थी, उन्हें अभियोजन के लिए कुछ दस्तावेजों को साबित करने के उद्देश्यों के लिए तलब किया गया था। इन परिस्थितियों में, सवाल यह उठा कि क्या संहिता की धारा 311 के तहत आवेदन देकर अभियोजन चलाया जा सकेगा, अभियोजन कमी को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। हमारी राय में, राजेंद्र प्रसाद का वर्तमान मामले में कोई अनुप्रयोग नहीं है। हम इस पर कोई राय व्यक्त नहीं चाहते कि क्या इस मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा संहिता की धारा 311 के तहत आवेदन सही किया गया था । हम पाते हैं कि, वास्तव में अभियोजन पक्ष द्वारा दायर आवेदन रिकार्ड पर जिला मजिस्ट्रेट की सहमति/मंजूरी देने के लिए था, न्यायालय से उक्त् अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपीलार्थी के विरुद्ध मुकदमा शुरू करने का अनुरोध करने के लिए था । विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उक्त आवेदन को मंजूरी दे दी।

12. निशांत सरीन मामले में प्रत्यर्थी को शिकायतकर्ता से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था । प्रत्यर्थी पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 के तहत मंजुरी मांगी की गई थी । प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) को प्रत्यर्थी पर मुकदमा चलाने की मंजुरी देने में कोई औचित्य नही मिला। मंजुरी देने से इंकार कर दिया गया इसके बाद सतर्कता विभाग ने इस मामले को मंजूरी के लिए प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) के समक्ष फिर से उठाया । इस मामले पर फिर से विचार किया गया। हालांकि आगे के विचार के लिए कोई नई सामग्री उपलब्ध नही थी, सक्षम प्राधिकारी ने प्रत्यर्थी पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। इन परिस्थितियों में इस न्यायालय ने कहा कि किसी लोक सेवक पर समीक्षा के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी केवल तभी दी जा सकती है जब जॉच एजेंसी ने पहले के आदेश के बाद नई सामग्री एकत्र की गई हो।

अनुवादक ः– सुश्री संगीता कोरकु